सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः— 2012/05 दायर दिनाँक 04.01.2012

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मजीद खाँ पुत्र स्वर्गीय उमरदराज खाँ, 2. हबीब खाँ पुत्र स्वर्गीय उमरदराज खाँ, 3. लतीफ खाँ पुत्र स्वर्गीय उमरदराज खाँ, 4. मुमताजबानो पत्नी स्वर्गीय उमरदराज खाँ, 5. मु. इस्लाम खातुन पत्नी अ. हफीज खाँ, समस्त,जाति—मुसलमान पठान, निवासी—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मुमताज पुत्र भाणु, जाति—अलाया मुसलमान, निवासी—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. नगरपालिका मण्डल, डीडवाना, जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. खलील खाँ पुत्र उमरदराज खाँ, जाति—पठान, निवासी—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत 88, 188 R.T.Act.
में
प्रार्थना—पत्र
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड, वकील, वादीगण की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रकुमार माथुर, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 05.12.2017

वाद में प्रतिवादी संख्या 01 मुमताज की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश हुआ। प्रार्थना—पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी ने इस प्रकरण में मात्र घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा है अन्य कोई अनुतोष नहीं है। जबकि प्रतिवादी पक्ष के जवाब दावा में यह स्पष्ट आपत्ति आ चुकी है कि वाद वर्णित खसरा नम्बर 923 रकबा 15.05 बीघा भूमि शरहद डीडवाना में अवस्थित रही है जो पहले उमरदराज खाँ के नाम खातेदारी की भूमि थी। उक्त भूमि में से रकबा 07.10 बीघा नाप की भूमि का उक्त

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

उमरदराज खाँ ने दिनाँक 23.10.1967 को सप्रतिफल प्रतिवादी मुमताज के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कर इसका वास्तविक व भौतिक कब्जा मुमताज को सौंप दिया और इसके बाद शेष रही रकबा 07.15 बीघा भूमि को भी सप्रतिफल के दिनाँक 16.08.1973 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के प्रतिवादी संख्या 01 मुमताज को विक्रय कर इस भूमि का भी वास्तविक एवं भौतिक कब्जा मुमताज को सौंप दिया। इस प्रकार खसरा नम्बर 923 रकबा 15.05 बीघा भूमि शरहद डीडवाना की सम्पूर्ण खातेदारी व कब्जाकाश्त प्रतिवादी मुमताज का हो गया है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी मुमताज ने अपने जवाब दावा में स्पष्ट तथ्य लिखे हैं जिनका जवाब उल जवाब नहीं दिया है।

उक्त दौनों विक्रय विलेख जवाब दावा में वर्णित तथ्य अनुसार 30 वर्षों से भी अधिक अवधि के हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे 30 वर्ष से भी अधिक अवधि के दस्तावेज के बारे में धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत यह स्वष्ट उप धारणा होती है कि उक्त दस्तावेज सम्यक रूप से निष्पादित व अनुप्रमाणित है। उक्त दौनों ही विक्रय विलेखों को इतनी लम्बी अवधि के बाद किसी भी न्यायालय में सक्षम रूप से चुनौति नहीं दी है जबकि प्रतिवादी ने प्राथमिक स्तर पर ही उक्त दस्तावेतात् को न्यायालय के समक्ष परिचित करा दिया था। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को यह दावा श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है। किसी पक्ष के पास पंजीकृत दस्तावेज है तो उन्हें चुनौति दिये बिना किसी प्रकार की घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रथमदृष्टया भी नहीं दी जा सकती है। सम्पूर्ण भूमि पर 40–50 वर्षों से अधिक अवधि से लगातार वास्विक व भौतिक कब्जा प्रतिवादी मुमताज खाँ का है। इस आशय का निर्णय माननीय न्यायालय अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश महोदय डीडवाना ने जरिये प्र0सं0 97/17 मुमताज बनाम् राज्य आदेश दिनाँक 28.04.2017 में भी बताया है कि परिवादी मजीद ने भी न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार करते हुए सम्पूर्ण खसरा पर कब्जा मुमताज का माना है। ऐसी स्थिति में यह स्वष्ट है कि उक्त दौनों विक्रय विलेखों के जरिये ही सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी मुमताज का कब्जा हुआ है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से पंजीकृत विक्रय विलेखों के आधार पर प्रतिवादी के नाम जो खातेदारी दर्ज हुई है व कब्जा भी जमीन पर है तब बिना उक्त दस्तावेज को चुनौति दिये वादी का वाद पोषणीय नहीं है। अतः वादी को वाद प्रथमदृष्टया खारिज करने का आदेश पारित किया जावे।

प्रतिवादी मुमताज द्वारा पेश उपर्युक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब वादीगण द्वारा पेश किया गया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादित खसरा नम्बर 923 रकबा 15.05 बीघा भूमि वादी के पिता उमरदराज खाँ के नाम दर्ज थी। उक्त खसरा में से रकबा 07.10 बीघा का बैचाण अवश्य किया जो दिनाँक 23.10.1967 को किया उसके बाद दिनाँक 20.08.1973 को वादी के पिता उमरदराज द्वारा कभी कोई बैचाण नहीं किया गया। वादी के पिता का इन्तकाल दिनाँक 29.03.1969 को हो गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

उक्त बैचाण बाबत् वादी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. महोदय डीडवाना द्वारा अन्तर्गत धारा 420 आई.पी.सी. में प्रसंज्ञान लिया गया जिस पर प्रतिवादी मुमताज माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश डीडवाना से जमानत करवाई जिससे भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी मुमताज ने वादीगण के पिता उमरदराज खाँ के फर्जी हस्ताक्षर से किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर रजिस्ट्री करवाई है। प्रतिवादी के पास असल विक्रय पत्र होते हुए भी न्यायालय हाजा हो गुमराह करने के लिए असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहा है।

वादी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की सुनवाई में भी असल दस्तावेज पेश करने का निवेदन किया गया परन्तु प्रतिवादी द्वारा असल दस्तावेज पेश नहीं किये गये। वादी ने यह वाद सत्य व ठोस आधारों पर पेश किया है जिस वाद का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को भी है। इसलिए प्रतिवादी का यह प्रार्थना–पत्र काबिल–ए–निरस्त है। अतः जवाब मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील प्रतिवादी संख्या 01 मुमताज की बहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर आधारित रही। वकील प्रतिवादी संख्या 01 मुमताज का तर्क है कि उमरदराज खाँ की मृत्यु दिनाँक 29.03.1969 को हुई मगर इसका मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनाँक 26.09.2011 को बनवाया है व यह मृत्यु प्रमाण–पत्र गगवाना जिला अजमेर से बनवाया है, इस कारण से इस वाद को खारिज किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

वकील वादीगण की दलील है कि वादित खसरा नम्बर 923 रकबा 15.05 बीघा भूमि वादी के पिता उमरदराज खाँ के नाम दर्ज थी। उक्त खसरा में से रकबा 07.10 बीघा का बैचाण अवश्य किया था जो कि दिनाँक 23.10.1967 को किया था उसके बाद दिनाँक 20.08.1973 को वादी के पिता उमरदराज द्वारा कभी कोई बैचाण नहीं किया गया। वादी के पिता का इन्तकाल दिनाँक 29.03.1969 को हो ही गया था। उक्त बैचाण बाबत् वादी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय ए.सी.जे. एम. महोदय डीडवाना द्वारा अन्तर्गत धारा 420 आई.पी.सी. में प्रसंज्ञान लिया गया जिस पर प्रतिवादी मुमताज माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश डीडवाना से जमानत करवाई जिससे भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी मुमताज ने वादीगण के पिता उमरदराज खाँ के फर्जी हस्ताक्षर से किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर रजिस्ट्री करवाई गयी थी। प्रतिवादी के पास असल विक्रय–पत्र होते हुए भी न्यायालय हाजा को गुमराह करने के लिए असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहा है। इसलिए प्रतिवादी का यह प्रार्थना–पत्र काबिल–ए–खारिज है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोनक किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

प्रतिवादी मुमताज ने जरिये पंजीकृत दस्तावेज के दिनाँक 23.10.1967 को व दिनाँक 16.08.1973 को खरीद किया है। वादी पक्ष द्वारा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही नहीं की है। पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

वादर में पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाने योग्य होने से व वाद वादी इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से, वाद वादी खारिज किया जाना हमारे मत उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन, वाद में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर, वाद वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **05.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **05/2012** दायर दिनाँक **04.01.2012**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. मजीद खाँ पुत्र स्वर्गीय उमरदराज खाँ, **2.** हबीब खाँ पुत्र स्वर्गीय उमरदराज खाँ, **3.** लतीफ खाँ पुत्र स्वर्गीय उमरदराज खाँ, **4.** मुमताजबानो पत्नी स्वर्गीय उमरदराज खाँ, **5.** मु. इस्लाम खातुन पत्नी अ. हफीज खाँ, समस्त,जाति–मुसलमान पठान, निवासी–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. मुमताज पुत्र भाणु, जाति–अलाया मुसलमान, निवासी–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. नगरपालिका मण्डल, डीडवाना, जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. खलील खाँ पुत्र उमरदराज खाँ, जाति–पठान, निवासी–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत 88, 188 R.T.Act.
में
प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C.

दिनाँक **05.12.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड, वकील, वादीगण की ओर से व श्री राजेन्द्रकुमार माथुर, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर, वाद वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसबब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.12.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)